जनसंपर्क विभाग
अमेरिकी दूतावास

प्रेस समाचार

शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 दूरभाष: 011-24198000 एक्सटेंशन: 8827 फैक्स: 011-24198817
ईमेल: mpl@pd.state.gov इंटरनेट वेबसाइट: http://usembassy.state.gov/delhi.html

31 अगस्त, 2005

अमेरिका ने छह भारतीय परमाणु संस्थानों को एंटिटी सूची से हटाया

नई दिल्ली -- अमेरिका ने छह भारतीय परमाणु तथा अंतरिक्ष संस्थानों को डिपार्ट्मेंट ऑफ कॉमर्स की एंटिटी सूची से हटा दिया है। यह व्यवस्था 30 अगस्त से लागू है। इन भारतीय संस्थानों को निर्यात और पुनर्निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करने से भारत को निर्यात तथा पुनर्निर्यात करने के लिए लाइसेंस आवेदनों में कमी आएगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच उच्च-प्रौद्योगिकी व्यापार में वृद्धि होगी।

घोषणा का स्वागत करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा, "यह राष्ट्रपति बुश की भारत और अमेरिका के बीच सामरिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने के संकल्प का मूर्तरूप है।"

एंटिटी सूची से हटाए गए छह भारतीय संस्थानों में से तीन है- डिपार्ट्मेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटिटीज, तारापुर, राजस्थान, तथा कुडंकुलम। तारापुर और राजस्थान इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईएईए) सुरक्षा उपायों के अंतर्गत हैं। कुडंकुलम 1 और 2 निर्माणाधीन हैं और पूरा हो जाने पर सुरक्षापायों के अंतर्गत रखा जाएगा। भारत सरकार और आईएईए इस बात पर सहमत हैं कि इस संस्थान के पूर्ण हो जाने पर आईएईए के सुरक्षापायों के अंतर्गत रखा जाएगा। अन्य तीन एंटिटीज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (आईएसआरओ) की आश्रित एंटिटीज हैं। विशेष रूप से आईएसआरओ टेलीमेंट्री, ट्रेकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी), द आईएसआरओ इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (आईआईएसयू) तिरूवनंतपुरम, तथा स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर (एसएसी), अहमदाबाद।

इन भारतीय एंटिटीज को सूची से हटाने के अलावा अतिरिक्त अमेरिकी फेडरल रजिस्टर में 30 अगस्त, 2005 में डिपार्ट्मेंट आफ कॉमर्स के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्यू एस. बोरमैन द्वारा एक व्यवस्था प्रकाशित की है, जिसमें परमाणु अप्रसार के कारणों से अमेरिका द्वारा एकपक्षीय रूप से नियंत्रित वस्तुओं के भारत को निर्यात और पुनर्निर्यात हेतु लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त किया है। यूएस-इंडिया नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को पूरा करने के एक भाग के रूप में यह कदम उठाया गया है।

यह संशोधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच उच्च-प्रौद्योगिकी व्यापार में वृद्धि होगी। इसका व्यावहारिक प्रभाव होगा कि इन छह संस्थानों के लिए निर्यात और पुनर्निर्यात लाइसेंस लेने के आवेदनों की संख्या में कमी आएगी। इस व्यवस्था से परमाणु अप्रसार के कारणों से अमेरिका द्वारा एकपक्षीय रूप से नियंत्रित वस्तुओं के भारत को निर्यात और पुनर्निर्यात हेतु लाइसेंस आवश्यकता भी समाप्त हो गई है।

***